न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

मुकदमा नंबर 64/16 निर्णय दिनांक : 9/2/17

बउनवान

1. नरेश उम्र 26 पुत्र तुलसीराम जाति धाकड।
2. कौशल उर्फ कौशल किशोर पुत्र तुलसीराम जाति धाकड।
3. रोहित उम्र 22 वर्ष पुत्र तुलसीराम जाति धाकड।
4. धनकंवर पत्नी स्व0 तुलसीराम जाति धाकड।
5. प्रभूलाल पुत्र खेमा जाति धाकड निवासीगण खेडली काकूनिया तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. देवकिशन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड।
2. शिवराज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड।
3. कविता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड निवासीगण कचौलिया तहसील कनवास।
4. अनिता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति पत्नी रामबिलास जाति धाकड निवासी कचौलिया हाल मुकाम मालनवासा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
5. कृष्णा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पत्नी लोकेश जाति धाकड निवासी ग्राम कचौलिया हाल निवासी कोटडी तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

कार्यालय उप जिला कलेक्टर, कनवास, जिला कोटा

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित — श्री अनुतोष नागर एडवाकेट — वादीगण की ओर से
श्री छगनलाल सेनी — — प्रतिवादी नं. 1 से 5 की ओर से
तहसीलदार कनवास — प्रतिवादी नं. 6 राजस्थान सरकार की ओर से

वादीगण द्वारा दावा न्यायालय में इस आशय का पेश किया है यह कि वादीगण के दादा स्व0 श्री केसरीलाल जी के खाते की आराजी माल ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास में खाता संख्या नई 13 कुल किता 07 की कुल रकबा 3.92 है0, व माल ग्राम खेडली काकूनिया पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास में खाता संख्या नई 10 कुल किता 05 की कुल रकबा 4.25 है0, आराजी रही है, जो वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

विवरण आराजीयात

क्र0स0	माल ग्राम	खाता संख्या नई	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर
1	बालूहेडा	नई 13	81	0.15 है0
2			89	0.95 है0
3			90/586	0.20 है0
4			380/576	0.10 है0
5			382	0.09 है0
6			400/588	0.52 है0
7			401	1.91 है0
	योग कुल किता 07 की कुल रकबा 3.92 है0,			

जिसके साबिक खसरा नंबर 65/1 उत्तरी की 07 बीघा, 192/3 दक्षिण की 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 59/2 दक्षिणी की 18 बिस्वा कुल किता 03 की कुल रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा है, जिसका मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 से 77 संलग्न है।

क्र0स0	माल ग्राम	खाता संख्या नई	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर
1	खेडली काकूनिया	नई 10	94	0.04
2			95	0.04
3			96	0.01
4			97	0.19
5			98	3.97
	योग कुल किता 05की कुल रकबा 4.25 है0,			

यह कि वाद पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण के दादा स्व0 केसरीलाल के एकल खाते व शांति पूर्वक कब्जे काश्त की आराजी रही है, तथा वादीगण द्वारा वादीगण की सेवा सुश्रूषा व तिमारदारी से प्रसन्न होकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात की जर्ये वसीयत नामा दिंनाक 21.06.2008 से वादीगण के हके में वसीयत कर आराजीकी व्यवस्था कर दी थी, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी नंबर 01 लगायत 03 प्रत्येक को 1/4 – 1/4 – 1/4 हिस्सा व शेष 1/4 हिस्सा आराजी वादीनी नंबर 04 व वादी नंबर 05 के हक में (संयुक्त रूप से) वसीयत की गई थी, वसीयकर्ता स्व0 केसरीलाल जी का स्वर्गवास हो गया था, जिसका वादीगण द्वारा जर्ये वसीयत नामा अपने हक में इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का को वसीयत नामे की प्रति देकर इन्तकाल खोलने हेतु निवेदन किया था, लेकिन पटवारी हल्का महोदय द्वारा उक्त आराजी का वसीयत के आधार पर इन्तकाल नंही खोलकर सामान्य प्रक्रिया के तहत अन्य पारिवारिक सदस्यों प्रतिवादीगण का नाम जोडते हुए उक्त आराजी का इन्तकाल नंबर 181 दिनांक 25.05.2016 माल ग्राम खेडली काकूनिया की खाता संख्या नई 13 की कुल 3.92 हैक्टर आराजी में इन्तकाल नंबर 386 दिनांक 05.04.2016 को खोल दिया गया, जबकि मृतक खातेदार केसरीलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजीयात की जर्ये वसीयत नामा दिंनाक 21.06.2008 से व्यवस्था कर दी थी, जिसके आधार

उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटा (राज0)

पर इन्तकाल नंही खोलने से वादीगण के लिए अपने हक में घोषणा करवाने के लिए माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

अतः वादी द्वारा पुनः निवेदन किया कि ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 13 के खसरा नंबर 81 की 0.15 है0, खसरा नंबर 89 की 0.95 है0, खसरा नंबर 90/586 की 0.20 है0, खसरा नंबर 380/576 की 0.10 है0, खसरा नंबर 382 की 0.09 है0, खसरा नंबर 400/588 की 0.52, खसरा नंबर 401 की 1.91 है0, कुल किता 07 की 3.92 है0, आराजी व माल ग्राम खेडली काकूनिया पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 10 के खसरा नंबर 94 की 0.04 है0, खसरा नंबर 95 की 0.04 हे0, खसरा नंबर 96 की 0.01 है0, खसरा नंबर 97 की 0.19 हे0, खसरा नंबर 98 की 3.97 है0, कुल किता 05 की 4.25 हे0, आराजीयात की वसीयतनामा दिंनाक 21.06.2008 की पालना में वादी नंबर 01 लगातय 03 (नरेश, रोहित, कोशल) प्रत्येक को पृथक–पृथक 1/4 – 1/4 – 1/4 हिस्सा आराजी का व शेष 1/4 हिस्सा आराजी वादनी नंबर 04 धनकंवर व वादी नंबर 05 प्रभूलाल के हक में(संयुक्त रूप से) घोषणा की जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तथा उक्त घोषणा के अनुसार प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 व मृतक सहखातेदार गुड्डीबाई का नाम खाते से डिलीट किये जाने की घोषणा की डिक्री फरमायी जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जावे, तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की जाकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 द्वारा दिंनाक 30.09.2016 को इकबालिया जवाब व राजीनामा प्रस्तुत कर अपने जवाब में वादीगण के वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रस्तुत की। जिस पर हमारे द्वारा दिंनाक 23.11.2016 को को वादीगण 01 लगायत 05 (नरेश, कौशल, रोहित, धनकंवर, प्रभूलाल) एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 (देवकिशन, शिवराज, कविता, अनिता, कृष्णा)को उनके समक्ष राजीनामा पढकर सुनाया गया। सुनकर सहमत होना व राजीनामा अनुसार कार्यवाही किये जाने में सहमति व्यक्त की गई। वादीगण व प्रतिवादीण को उनके वकील द्वारा पहचान की गई व पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। राजीनामा तस्दीक किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों व रेकार्ड, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, हम वाद पत्र में अंकित आराजी माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 13 के खसरा नंबर 81 की 0.15 है0, खसरा नंबर 89 की 0.95 है0, खसरा नंबर 90/586 की 0.20 है0, खसरा नंबर 380/576 की 0.10 है0, खसरा नंबर 382 की 0.09 है0, खसरा नंबर 400/588 की 0.52, खसरा नंबर 401 की 1.91 है0, कुल किता 07 की 3.92 है0, भूमि व आराजी माल ग्राम खेडली काकूनिया पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 10 के खसरा नंबर 94 की 0.04 है0, खसरा नंबर 95 की 0.04 हे0, खसरा नंबर 96 की 0. 01 है0, खसरा नंबर 97 की 0.19 हे0, खसरा नंबर 98 की 3.97 है0, कुल किता 05 की 4.25 हे0, वादी नंबर 01 लगातय 03 (नरेश, रोहित, कोशल) प्रत्येक को पृथक–पृथक 1/4 – 1/4 – 1/4 हिस्सा आराजी का व शेष 1/4 हिस्सा आराजी वादनी नंबर 04 धनकंवर व वादी नंबर 05 प्रभूलाल के हक में(संयुक्त रूप से) घोषणा की जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाना तथा उक्त घोषणा के अनुसार प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 व मृतक सहखातेदार गुड्डीबाई का नाम खाते से डिलीट किये जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा, वसीयतनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर आराजी माल ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 13 के खसरा नंबर 81 की 0.15 है0, खसरा नंबर 89 की 0.95 है0, खसरा नंबर 90/586 की 0.20 है0, खसरा नंबर 380/576 की 0.10 है0, खसरा नंबर 382 की 0.09 है0, खसरा नंबर 400/588 की 0.52, खसरा नंबर 401 की 1.91 है0, कुल किता 07 की 3.92 है0, भूमि व आराजी माल ग्राम खेडली काकूनिया पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 10 के खसरा नंबर 94 की 0.04 है0, खसरा नंबर 95 की 0.04 हे0, खसरा नंबर 96 की 0.01 है0, खसरा नंबर 97 की 0.19 हे0, खसरा नंबर 98 की 3.97 है0, कुल किता 05 की 4.25 हे0, वादी नंबर 01 लगातय 03 (नरेश, रोहित,, कोशल) प्रत्येक को पृथक–पृथक 1/4 – 1/4 – 1/4 हिस्सा आराजी का व शेष 1/4 हिस्सा आराजी वादनी नंबर 04 धनकंवर व वादी नंबर 05 प्रभूलाल के हक में(संयुक्त रूप से) घोषणा की जाकर वसीयतनामा में अंकित स्थिति के अध्यधोन खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुसार प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 व मृतक सहखातेदार गुड्डीबाई का नाम खाते से डिलीट किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री लहरी कुमार जैन
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1. नरेश उम्र 26 पुत्र तुलसीराम जाति धाकड।
2. कौशल उर्फ कौशल किशोर पुत्र तुलसीराम जाति धाकड।
3. रोहित उम्र 22 वर्ष पुत्र तुलसीराम जाति धाकड।
4. धनकंवर पत्नी स्व0 तुलसीराम जाति धाकड।
5. प्रभूलाल पुत्र खेमा जाति धाकड निवासीगण खेडली काकूनिया तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी

बनाम

1. देवकिशन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड।
2. शिवराज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड।
3. कविता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड निवासीगण कचौलिया तहसील कनवास।
4. अनिता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति पत्नी रामबिलास जाति धाकड निवासी कचौलिया हाल मुकाम मालनवासा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
5. कृष्णा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पत्नी लोकेश जाति धाकड निवासी ग्राम कचौलिया हाल निवासी कोटडी तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

दावा अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 64/16 सन 2016 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी गण की ओर से एडवाकेट श्री अनुतोष नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 की ओर से श्री छगनलाल सोनी तथा प्रतिवादी क्रम 06 की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या नई 13 के खसरा नंबर 81 की 0.15 है0, खसरा नंबर 89 की 0.95 है0, खसरा नंबर 90/586 की 0.20 है0, खसरा नंबर 380/576 की 0.10 है0, खसरा नंबर 382 की 0.09 है0, खसरा नंबर 400/588 की 0.52, खसरा नंबर 401 की 1.91 है0, कुल किता 07 की 3.92 है0, भूमि व आराजी माल ग्राम खेडली काकूनिया पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नई 10 के खसरा नंबर 94 की 0.04 है0, खसरा नंबर 95 की 0.04 हे0, खसरा नंबर 96 की 0.01 है0, खसरा नंबर 97 की 0.19 हे0, खसरा नंबर 98 की 3.97 है0, कुल किता 05 की 4.25 हे0, वादी नंबर 01 लगातय 03 (नरेश, रोहित, कोशल) प्रत्येक को पृथक–पृथक 1/4 – 1/4 – 1/4 हिस्सा आराजी का व शेष 1/4 हिस्सा आराजी वादनी नंबर 04 धनकंवर व वादी नंबर 05 प्रभूलाल के हक में(संयुक्त रूप से) घोषणा की जाकर वसीयतनामा में अंकित स्थिति के अध्यधोन खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुसार प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 05 व मृतक सहखातेदार गुड्डीबाई का नाम खाते से डिलीट किया जाने का आदेश दिया जावें ।तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **x** ...मुबलिग .... **x** ... बाबत ... **x** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **x** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **x** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .09 माह फरवरी 2017 को जारी की गई।

मोहर ....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा '''' स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प वजह सबूत '''' महनताना वकील '''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक '''' मीजान ''''	-----NIL-----		स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प अर्जी '''' महनताना वकील '''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा'''' मुतफर्रिक ''' मीजान ''''	-----NIL-----	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा